

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या  
12/03/2020

प्रवेश तिथि  
30-01-2020

निर्णय दिनांक  
25-02-2020

01. मान्याराम पुत्र श्री गंगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम दुंदपुरी तहसील राजगढ जिला अलवर।

-अपीलांत

बनाम

01. उपतहसीलदार टहला, जिला अलवर।

-रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार टहला दिनांक 09.10.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 152/2019

उपस्थित:-

01-श्री जगदीश शर्मा

-वकील अपीलाण्ट



-निर्णय:-

अपीलांट्स ने यह अपीलांट्स तहसीलदार टहला के आदेश दिनांक 09.10.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम दुंदपुरी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 15.56 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रैस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम दुंदपुरी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 15.56 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.09.19 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 2 माह 15 दिवस की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 09.10.2019 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2019 के विरुद्ध दिनांक 27.01.20 को पेश किया। जो करीब 3 माह 18 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा दिनांक 28.01.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है तथा पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट्स का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट्स को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट्स दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(उत्तम सिंह शेखावत)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान)